Unit - 3 Language Across the Curr

भूमिका

सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डा० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपने रिपोर्ट में सामाजिक वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिये।

24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपान्तरण 10+2+3 पद्धति का विकास हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में विकास शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास विज्ञान व तकनीकि शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया।

& 3 Sep - 1958 - डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में (माध्यमिक शिक्षा आयोग)

24 Nov - 1948 - डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में (विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग)

Scanned with CamScanner

# Unit – 3 – (Language Across the Curriculum)

## कोठारी कमीशन की सिफारिशें :— (1964-66)

आयोग ने पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाने वाली भाषाओं के बारे में अपनी निम्नलिखित विचार व्यक्त किया है :—

(i) त्रिभाषी फार्मूले में संशोधन :—

आयोग का यह विचार है कि स्कूल-स्तर पर त्रिभाषी फॉर्मूले के लागू होने से बहुत अधिक कठिनाई आई है और यह कोई सफलता भी प्राप्त नहीं कर सका जिससे की असंतोष की भावना व्याप्त हो गई है। इस स्थिति में कोठारी कमीशन ने अपने विचार से इस फार्मूले में संशोधन करके निम्नलिखित संशोधन करने का विचार रखा :—

(i) हिन्दी संघ की राजभाषा के रूप में मातृभाषा के बाद महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे।

(ii) अंग्रेजी का ज्ञान छात्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

(iii) तीन भाषाओं को सिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक स्तर है।

(iv) हिन्दी या अंग्रेजी का शिक्षण तब प्रारंभ किया जाए जब उसकी सबसे अधिक प्रेरणा एवं आवश्यकता का अनुभव किया जाए।

(v) किसी भी स्तर पर चार भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य नहीं होगा।

आयोग ने उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर त्रिभाषा फॉर्मूले को निम्नलिखित रूप में अंकित किया है :—

(क) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा

(ख) संघ की राजभाषा या सह-राजभाषा जब तक यह है।

(ग) एक आधुनिक भारतीय या यूरोपियन भाषा

Scanned with CamScanner

जो छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में से न चुनी गई हो और वह शिक्षा का माध्यम न हो। आयोग ने उपर्युक्त फार्मूले का इसलिए सुझाव दिया जिससे की हिन्दी का अध्ययन किसी के लिए अनिवार्य न रहे। आयोग ने भी कहा है कि हिन्दी के स्वतंत्र अध्ययन का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया जाये पर जो छात्र हिन्दी पढ़ने के लिए इच्छुक न हो उनपे हिन्दी की पढ़ाई लादी न जाय।

(2) हिन्दी का स्थान :—

वर्तमान प्रदृश्य में भारतिय जनता के विचारों के आदान-प्रदान के लिए हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो हर जगह प्रयोग हो सकती है। क्योंकि यह संघ की राजभाषा है और जनता के विनमय की भाषा है। इसलिए इसे भारत के सभी भागो में फैलाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। आयोग का यह विचार है कि अब हिन्दी का पक्ष तभी मजबुत बनेगा जब अनिच्छुक लोगों पर इसे लादा नहीं जाए बरना इसको सिखने के लिए लोगों में प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी।

(3) विभिन्न भाषाओं का स्थान :—

आयोग ने यह कहा है कि भारतिय भाषाओं का कुछ अध्ययन लिपियों में अन्तर के कारण कठिन है आयोग ने कहा है कि स्कुलों में भाषा की शिक्षा की नई नीति इसलिए आवश्यक हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी का अनिश्चित काल के लिए प्रतिष्ठित सह-राजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग

होना है इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समुचित भाषा-नीति का होना आवश्यक है। अतः मातृ भाषा को स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए एवं निम्न UGC इस लक्ष्य को 10 वर्ष के भीतर प्राप्त कर ले।

प्रादेशिक भाषायें प्रदेशों में प्रशासन का माध्यम बना दिया जाए। जिससे की ऊँची नौकरियों से वंचित न रहना पड़े।

आयोग ने ये भी कहा है कि हिन्दी के अतिरिक्त सभी भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए ताकि एक राज्य से दूसरे राज्यों में इन भाषाओं का प्रयोग किया जा सके।

(५) अंग्रेजी पर बल :— आयोग ने अखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाये रखने पर जोर दिया है। अंग्रेजी की पढ़ाई स्कूल स्तर से ही जारी रखनी चाहिए। सर्वोत्तम कोटी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य के लिए 6 महा विश्वविद्यालय जिसमें अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम हो विकसित किये जायें। इन्हें वर्तमान विश्वविद्यालयों में से चुना जाए तथा इसमें एक प्रौद्योगिकी विज्ञान का तथा एक कृषि विश्वविद्यालय हो। इन विशाल विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सारे देश में से चुने हुए अध्यापक रखे जायें और ये अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव करके छात्रों को प्रेरणा दें। आयोग ने ये भी कहा है कि अखिल भारतीय संस्थाओं

Scanned with CamScanner

में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम रहेगी।

(5) शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन :- आयोग ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के महत्व को स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत विशेष अधिकार रखती है परंतु आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि संस्कृत या अन्य किसी शास्त्रीय भाषा को त्रिभाषी फॉर्मूले में स्थान प्रदान किया जाए। आयोग इस बात से सहमत है कि मातृभाषा तथा संस्कृत का एक मिश्रित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है, परन्तु जनमत इसके पक्ष में नहीं है। अतः इस परिस्थिति में शास्त्रीय भाषाओं को विद्यालय पाठ्यक्रम में केवल वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया जा सकता है। यह स्थान कक्षा 8 तथा आगे की कक्षाओं में हो।

आयोग संस्कृत विश्वविद्यालयों के विचार को स्वीकार नहीं करता है। अतः कोई नवीन संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाए।

## (समीक्षा)

आयोग ने विद्यालयों में भाषाओं के अध्ययन के बारे में जो सुझाव दिये हैं उसकी प्रशंसा भी की गई है और तीक्ष्ण आलोचना भी जो की निम्नलिखित है :—

(1) व्यावहारिक सुझाव :— आयोग ने व्यावहारिक त्रिभाषी फॉर्मूले का सुझाव दिया। मातृभाषा विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम होगी एवं हिन्दी या अंग्रेजी और एक अन्य भाषा, जो एक आधुनिक भारतीय या युरोपियन भाषा होगी, का अध्ययन अनिवार्य

होगा पर यह संतुलित फार्मूला भी राजनैतिक वाद-विवाद का कारण बन सकता है। आयोग ने हिन्दी प्रेमियों को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया है।

2. अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में :—

आयोग ने भाषा-संबंधी विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है। उसने इस बात पर बल दिया है कि 10 वर्ष के अन्दर प्रादेशिक भाषाएँ निम्नविद्यालय स्तर तक शिक्षा की माध्यम हो जाये। उसने यह भी सुझाव दिया है कि इस समय तक अंग्रेजी, संपर्क भाषा रहे और इसलिए इसकी शिक्षा प्रारंभिक स्तर से ही दी जाये। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि हिन्दी को अहिन्दी क्षेत्रों में माध्यम का अनिवार्य विषय न बनाया जाए। आयोग के विचार इस संबंध में स्पष्ट है कि अंग्रेजी संपर्क संयोजक भाषा नहीं रह सकती है और कभी न कभी अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को देना पड़ेगा।

(3) हिन्दी के विरोध और राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता में सामंजस्य :—

आयोग ने कुछ क्षेत्रों में हिन्दी के प्रबल विरोध और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय भाषा के विकास की आवश्यकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रादेशिक भाषा विद्यालय और उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम हो, जहाँ तक अखिल भारतीय संस्थाओं की बात है अंग्रेजी का स्थान यथावत रहेगा, पर अंत में इसका स्थान हिन्दी के द्वारा ले लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. मातृभाषा : शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम :—

आयोग इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि उसने शिक्षा के सब स्तरों पर मातृभाषा को शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम स्वीकार किया है। आयोग ने 10 वर्ष के अंदर अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करने का सुझाव देकर एक जटिल समस्या का समाधान कर लिया है।

5. हिन्दी का अध्ययन वैकल्पिक विषय के रूप में :— प्रतिवेदन में जितनी सिफारिशें हैं उनमें संभवतः अधिक रचनात्मक यह है कि हिन्दी के माध्यम से अध्ययन को अनिवार्य न बनाकर वैकल्पिक बनाया जाए। इस सुझाव से उन सभी आलोचनाओं का अन्त हो जाना चाहिए जो इस समय त्रिभाषि सूत्र फार्मूले के कारण हो रही है।

6. विश्व भाषाओं का शैक्षिक महत्व :—

आयोग का यह सुझाव जिसमें कहा गया है कि स्कूल और विश्वविद्यालयों में अन्य भाषाओं (अंग्रेजी के अतिरिक्त) को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है, इसका महान शैक्षिक महत्व है।

7. संस्कृत की अवहेलना :—

आयोग ने संस्कृत की अवहेलना की है। उसने कहा कि कोई नया संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित न किया जाए। उसने यह भी कहा है कि संस्कृत - अरबी जैसी प्राचीन भाषाएं आठवें दर्जे से केवल वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जायें और कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में इनके अध्ययन केन्द्र खोल दिये जायें।

आयोग का इस तरह के विचार काफी निंदनीय है जिस व्यक्ति को भी थोड़ा

Scanned with CamScanner

या भी तथ्यों का ज्ञान होगा और कोई भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि भारतीय संस्कृति में संस्कृत ने महान योगदान दिया है। भारतीय जीवन का ऐसा कोई भी अंग नहीं है, जिस पर संस्कृत का गहरा प्रभाव न पड़ा हो। भारत का अधिकांश साहित्य संस्कृत में ही सुरक्षित है। आयोग ने इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया है।

8. हिन्दी की अवहेलना :— त्रिभाषी फॉर्मूले के अन्तर्गत शिक्षा आयोग ने अंग्रेजी और हिन्दी के अध्ययन को वैकल्पिक रखा है। यह सुझाव अंग्रेजी के पक्ष और हिन्दी के विपक्ष में है। इस समय उच्च भारतीय नौकरियों के लिए जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उनका माध्यम अंग्रेजी है। इसलिए कोई भी छात्र अंग्रेजी की अवहेलना नहीं कर सकता है। हिन्दी राजभाषा तभी बन सकती है, जब उसे सम्पूर्ण देश के स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाए।

# भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका :—
## Role of Teacher in Language Teaching

किसी भी कक्षा कक्ष में शिक्षक पर ही संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निर्भर करती है परंतु खेद इस बात का है कि आज शिक्षक की भूमिका उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है जितनी प्राचीन काल में थी। शिक्षक अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह उतनी कुशलता से नहीं कर पाते हैं, जितनी उनसे अपेक्षा रखी जाती है। इसका एक कारण तो यही है कि आज शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पित शिक्षक का अभाव है। आज शिक्षकों ने बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ तो हासिल कर ली हैं परंतु उनमें वह ज्ञान, अनुभव तथा ज्ञान के प्रति समर्पण भाव नहीं है। जो उनसे आकांक्षा रखी जाती है। शिक्षा के प्रति समर्पण में शिक्षकों के प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आजकल कक्षा-कक्ष में प्रशिक्षण का संतोषजनक प्रबन्धन नहीं है। शिक्षा संकाय में सैद्धान्तिक विषयों पर अधिक बल दिया जाता है जबकी प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक कौशल के विकास पर अधिक बल देना चाहिए। नैतिक बल, शिष्ट व्यवहार, शुद्ध आचरण, सच्चरित्रता, छात्रों के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम आदि गुण शिक्षकों में होना नितान्त आवश्यक है। इसके साथ साथ शिक्षकों के व्यक्तित्व में भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए तथा साहित्य की पर्याप्त जानकारी एवं रुचि होनी चाहिए।

शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एक ध्रुव में पाठ्यक्रम तथा दूसरे ध्रुव में शिक्षार्थी होता है और तीसरे ध्रुव में शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके आचरण, आदर्शों तथा व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का अनुकरण करता है।

Scanned with CamScanner

शिक्षक की भूमिका

(i) पाठ्य-विषय की पूर्ण तैयारी करना।
(ii) पाठ को सुचारु रूप से पढ़ाना।
(iii) छात्रों में शिक्षा के प्रति लालसा उत्पन्न करना।
(iv) दृश्य-श्रव्य साधनों का सदुपयोग करना।
(v) अपने विषय का पूर्ण ज्ञान अर्जित करना।
(vi) व्यवसाय में दक्षता अर्जित करना।
(vii) व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अर्जित करना।
(viii) बालकों के साथ सहानुभूति एवं धैर्य से पेश आना।
(ix) पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में रुचि लेना।

(i) पाठ्य-विषय की पूर्ण तैयारी करना :— भाषा शिक्षण कक्षा-कक्ष में शिक्षक को सोचा यह ध्यान देना चाहिए कि वह कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले विषय वस्तु की पूर्ण रूप से तैयारी होनी चाहिए जिससे वह कक्षा-कक्ष में प्रभावी रूप से शिक्षण कर सके।

(ii) पाठ को सुचारु रूप से पढ़ाना :— शिक्षक को कक्षा-कक्ष में पढ़ाये जाने वाले पाठ को भली प्रकार समझकर उसे सुचारु रूप से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना है।

अतः ज्ञान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री सार रूप में आत्मसात् हो तभी वह उसका स्थानान्तरण अपने छात्रों को करा पायेगा। शिक्षक का यह दायित्व है कि वह पाठ को सुचारु रूप से पढ़ा सके। इस प्रकार की क्षमता उनमें होनी चाहिए और कक्षा-कक्ष में इसी भूमिका का निर्वहन शिक्षक को सुचारु ढंग से करना चाहिए।

(iii) छात्रों में शिक्षा के प्रति लालसा उत्पन्न करना :—

भाषा शिक्षण में शिक्षक को सबसे अधिक ~~अह~~ एवं महत्वपूर्ण भूमिका छात्रों में शिक्षा के प्रति लालसा उत्पन्न करना, उनका उत्साह बढ़ाना तथा उन्हें प्रेरित करना भी है। छात्र तभी किसी भी विषय के प्रति तभी अभिप्रेरित होते हैं जब उनके मन में शिक्षा के प्रति लालसा होती है * और भाषा शिक्षण में यह जरूरी है कि छात्रों का उत्साह बढ़ाया जाए ताकि छात्र विषय के प्रति अपना रुझान दिखा सके।

(iv) दृश्य - श्रव्य साधनों का सदुपयोग करना :-

भाषा शिक्षण में शिक्षक को दृश्य-श्रव्य साधनों का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। दृश्य - श्रव्य साधनों के प्रयोग से बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ बहुत जागरूक होती है। दृश्य अर्थात देखने से संबंधित, इसमें मुख्य रूप से श्यामपट्ट, चार्ट, पोस्टर, मॉडल आदि आते हैं। श्रव्य अर्थात सुनने से संबंधित इसमें रेडियो, ग्रामोफोन, टेपरिकार्डर आदि आते हैं एवं दृश्य-श्रव्य में टेलीविजन, अभिनय आदि। शिक्षक को इन सभी उपकरणों को चलाने आना चाहिए।

(v) अपने विषय का पूर्ण ज्ञान अर्जित करना :-

शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहिए शिक्षक चाहे जिस विषय का हो, शिक्षक को उस विषय से संबंधित भाषाशैली का ज्ञान होना चाहिए * क्योंकि इसके बिना एक प्रभावशाली शिक्षण नहीं हो सकता है

Scanned with CamScanner

(VI) व्यवसाय में दक्षता अर्जित करना :—

शिक्षक को अपने व्यवसाय में दक्ष होने के लिए कक्षा में पढ़ाने से पूर्व पाठ-वस्तु का एक निचोड़ तैयार करना चाहिए ताकि वह आसान तरीके से शिक्षण कर सके। उसे कुछ ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए जिन्हें पाठ के संबंध में कक्षा में पूछा जा सके। तभी वह सफलता के साथ कक्षा में पढ़ा सकता है। कक्षा में शिक्षक को तत्पर होना चाहिए। उसे श्यामपट्ट पर लिखने का सही अभ्यास होना चाहिए। शिक्षक में ये क्षमता होनी चाहिए की आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सके, अन्यथा पाठ पुरी तरह से नीरस हो जाएगा। शिक्षक को कक्षा में आत्मविश्वास के साथ पढ़ाना चाहिए। बालकों के प्रश्नों का सहानुभूति के साथ-उत्तर देना चाहिए। शिक्षक में छात्रों की समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए।

7. व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान अर्जित करना :—

आजकल के प्रदृश्य में छात्रों को शिक्षा का केन्द्र मानकर ज्ञान प्रदान करना एक शिक्षक का दायित्व माना जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि हर मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नतायें पायी जाती है ठीक उसी प्रकार से छात्रों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होना चाहिए की वह छात्रों के शारीरिक, मानसिक स्तर, स्वभाव, बुद्धि स्तर, रुचि अभिरुचि को भली-भाँति समझकर उपयुक्त विषय का ज्ञान दे।

Scanned with CamScanner

(8) बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम से पेश आना :—

शिक्षक की कक्षा - कक्ष में सदा भूमिका होती है। ऐसे में शिक्षक को छात्रों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसे निष्पक्ष भाव से सभी छात्रों से व्यवहार करना चाहिए तभी छात्र शिक्षक का सम्मान करेंगे।

एक अच्छे शिक्षक को सहानुभूति के साथ-साथ धैर्य एवं सहनशीलता भी धारण करनी चाहिए। उसे शीघ्र बात-बात पर क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। जो शिक्षक बात-बात गुस्सा होकर छात्रों को दण्ड देते हैं, वे कभी भी छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं।

(9) सह - पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों में रुचि लेना :—

भाषा शिक्षण में शिक्षक को विद्यालय में अध्ययन के साथ-साथ कुछ अन्य क्रियाकलापों को कराना चाहिए जैसे - वाद-विवाद संवाद, कविता पाठ, संगीत, नृत्य, अभिनय, झाँकियाँ, खेल प्रतियोगिता आदि। इन्हें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ये सारी क्रियाएँ तभी संभव है जब शिक्षक इनमें रुचि ले, कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो की इन सभी क्रियाओं में कोई रुचि नहीं लेते।

एक सफल शिक्षक वही माना जाता है जो शिक्षण के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले यह एक योग्य शिक्षक की पहचान होती है एवं छात्र भी ऐसे शिक्षकों का सम्मान करते हैं।

Scanned with CamScanner